न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
2/2024	25/04/2024	24/06/2025

1. नर्बदा देवी पत्नी भौरीलाल शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम खवारानीजी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

वादीया

बनाम

1. राजेश पुत्र भौरीलाल शर्मा
2. जगदीश पुत्र भौरीलाल शर्मा
3. कमलेश पुत्र भौरीलाल शर्मा
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम खवारानीजी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार जमवाारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री हिम्मत सिंह राघव :– वकील वादिया।
श्री धर्मवीर सिंह राजावत :– वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री हिम्मत सिह राघव ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 409 रकबा 0.4800है0 स्थित ग्राम खवारानीजी, पटवार हल्का खवारानीजी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित है जो क उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे वादिया के नाम दर्ज स्थित है। उक्त आराजियात वादीया की क्रयशुदा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नही है फिर भी प्रतिवादीगण आये दिन वादिया की उक्त भूमि को हडप करने की नियत से वादिया के साथ लडाई झगडा करते है तथा आये दिन मारपीट करने पर आमादा रहते है तथा वादिया को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा वादिया पर भूमि बैचान करने का दबाव बनाते है तथा उक्त भूमि पर पुख्ता निर्माण कर कब्जा करना चाहते है जिसका उनको किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नही है तथा धमकीया देते रहते है कि उक्त भूमि पर हम कब्जा करके रहेगे और तुमको बेदखल करके रहेगे जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नही है। अतः वादिया का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगणों को प्रतिबंधित किया जावें िकवह वादीया कीउक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 409 रकबा 04800है0 स्थित ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार

का अतिक्रमण नही करें, और ना ही किसी प्रकार से कच्चा पक्का निर्माण करे, वादीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, वादीया को वादीया के कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करे, किसी प्रकार से तारबन्दी नही करे, तथा वादीया पर भूमि बैचान करने का दबाव नही बनाये तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही एजेन्ट सर्वेन्ट से करवायें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की ओर से एडवोकेट श्री धर्मवीर सिंह राजावत से वकालतनामा पेश किया तथा जवाब पेश नही करने पर जवाब बन्द किया जाकर वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम खवारानीजी, पटवार हल्का खवारानीजी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 409 रकबा 0.4800है0 में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करें, और ना ही किसी प्रकार से कच्चा पक्का निर्माण करे, वादीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, वादीया को वादीया के कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करे, किसी प्रकार से तारबन्दी नही करे, तथा वादीया पर भूमि बैचान करने का दबाव नही बनाये तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही एजेन्ट सर्वेन्ट से करवायें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 24/06/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर